[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 76/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 24/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2005, जिसे सा.का.नि. 122 (अ), दिनांक 01 मार्च, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी आगे संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 13ध और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)
“13ध	8517 70 10	निम्नलिखित वस्तुओं के प्रिंटिड सर्किट बोर्ड एसेंबली (पीसीबीए) से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं, यथा:- (क) सेलुलर मोबाइल फोनस् (ख) बेस स्टेशन (ग) आप्टिकल ट्रांसपोर्ट एक्यूपमेंट (घ) पैकेट आप्टिकल ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट या स्विच (पीओटीपी या पीओटीएस) के एक या एक से अधिक संयोजन (ङ) आप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (ओटीएन) प्रोडक्ट्स (च) आईपी रेडियोस् (छ) सॉफ्ट स्विचस् या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) उपकरण जैसे कि वीओआईपी फोनस्, मीडिया गेट वेज, गेटवे कंट्रोलर और सेशन बॉर्डर कंट्रोलर्स (ज) कैरियर इथरनेट स्विचस् , पैकेट ट्रांसपोर्ट नोड्स (पीटीएन)

		प्रोडक्ट्स, मल्टी प्रोटॉकाल लेबल स्विचिंग-ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल (एमपीएलएस-टीपी) प्रोडक्ट्स; (झ) मल्टीपल इनपुट/मल्टीपल आउटपुट (एमआईएमओ) और लॉग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) प्रोडक्ट्स बशर्ते कि आयातकर्ता सीमा शुल्क (रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियमावली, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता हो और आयात के समय उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को इस आशय का एक अंडरटेकिग दे कि - (क) आयातित माल का उपयोग उपर्युक्त **(ख)** से (झ) तक की वस्तुओं के विनिर्माण में नहीं किया जाएगा ; (ख) उपर्युक्त (क) के न हो पाने पर वह उतनी राशि का भुगतान करने का दायी होगा जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत यदि छूट न दी जाती तो आयातित माल पर लगने वाले शुल्क और आयात के समय पहले ही भुगतान की गई राशि के बीच के अंतर के बराबर होगा ।"

2. यह अधिसूचना 12 अक्तूबर, 2018 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/374/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 24/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2005 को सा.का.नि. 122(अ), दिनांक 01 मार्च, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 02 अप्रैल, 2018, सा.का.नि. 326 (अ), दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के तहत संशोधन किया गया है ।